कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्य प्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

(E-Mail - rcs.establishment@mp.gov.in)

क्रमांक/स्था./5/2019/ 2966 भोपाल,दिनांक 01/11/2019

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, 19 सितम्बर, 2002 एवं परिपत्र कमांक एफ-7-15/2005/आ. प्र./एक, दिनांक 11.07.2005 के परिप्रेक्ष्य में सीधी भर्ती तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अन्य आगामी आदेश होने तक अस्थाई रूप से सहायक ग्रेड-3 के पद पर सातवें वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) के न्यूनतम वेतन पर 19500/- उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 4 में दर्शित स्थान पदस्थ किया जाता है :-

क.	नाम अभ्यर्थी एवं पता	वर्ग	पदस्थी स्थान
1	2	3	4
01.	कुमारी पुष्पा कटारे पुत्री श्री हुकुमसिंह कटारे, पता- ग्राम मालीपुरा, पोस्ट-माण्डव, तहसील एवं जिला-धार, पिनकोड-454010	अनुसूचित जनजाति	आगर मालवा

01. नियुक्त अभ्यर्थी को भारत तथा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा तथा सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेनी होगी।
02. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।
03. म.प्र. शासकीय सेवक (अस्थाई/अर्द्धस्थाई) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उपर्युक्त अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
04. उपर्युक्त अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्त (3) के अंतर्गत देय रकम भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
05. उपर्युक्त अभ्यर्थी को स्थानीय जिला मेडीकल बोर्ड (पदस्थी स्थान) का फिटनेस प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है, साथ ही शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत करें।

06. उपर्युक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जावेगा कि अभ्यर्थी द्वारा इस विभाग में पदभार ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा। निरस्त के लिए पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किये जायेंगे।

07. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवक को लागू वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये और लागू किए जाएं, के अध्यधीन रहेंगे।

(डॉ एम.के. अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें,मध्य प्रदेश

कमांक/स्था/05/2019/ 2966 भोपाल, दिनांक 01/11/2019

प्रतिलिपिः–

01– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
02– निज सहायक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,म0प्र0 मुख्यालय ।
03– महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
04– संचालक जीवन बीमा निगम ग्वालियर।
05– संयुक्त आयुक्त, सहकारिता उज्जैन संभाग उज्जैन ।
06– उप आयुक्त, सहकारिता जिला आगरमालवा ।
07– जिला कोषालय अधिकारी, जिला आगरमालवा।
08– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगरमालवा ।
09– कुमारी पुष्पा कटारे पुत्री श्री हुकुमसिंह कटारे, पता– ग्राम मालीपुरा, पोस्ट–माण्डव, तहसील एवं जिला–धार, पिनकोड–454010, ओर पालनार्थ।
10– स्थापना 06/07/09/12

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें,मध्य प्रदेश